रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082024-255972
CG-DL-E-01082024-255972

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2024/श्रावण 9, 1946
No. 423] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/SHRAVANA 9, 1946

संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 462(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अधीक्षण पुरातत्व वास्तुविद् के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .--- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अधीक्षण पुरातत्व वास्तुविद् (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर --- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि --- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति --- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति --- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

0अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अधीक्षण पुरातत्व वास्तुविद्।	01*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 11 (67700-208700 रू.)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।**
(10)	(11)	(12)
सौ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत् अल्पकालिक संविदा भी है।)	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में (56100-177500 रू.) ऐसे उप अधीक्षण पुरातत्व वास्तुविद् जिन्होंने नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो तथा पुरातत्व में दो से चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा, पूरी कर ली	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1.सचिव, संस्कृति मंत्रालय-अध्यक्ष; 2.महानिदेशक, भारतीय

	है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षिक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** (जिसके अंतर्गत् अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वाशासी निकायों या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रू.) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वास्तुकला में स्नातक डिग्री; (ii) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के अधीन वास्तुविद् परिषद् से वास्तुविद् के रूप में रजिस्ट्रीकृत। (iii) स्मारकों या ऐतिहासिक भवनों आदि के संरक्षण में पांच वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत् अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन	पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य; 3.अपर महानिदेशक (संरक्षण और वैज्ञानिक परिरक्षण), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य।

	वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
1 भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।		
13		
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।		

[फा.सं. जे- 11012/3/2024-योजना]

सर्वजीत सिंह, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

Archaeological Survey of India

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2024

G.S.R. 462(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintending Archaeological Architect in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Superintending Archaeological Architect (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the

marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation to this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Superintending Archaeological Architect.	01* (2024) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group ‘A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Hundred per cent by promotion, failing which deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Deputy Superintending Archaeological Architect in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years regular service in the grade after appointment thereto on regular basis and have undergone two to four weeks training in Archaeology.

Note: When juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or institute;

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed as under:

(i) Bachelors degree in Architecture from a recognised University or institution;

(ii) registered as an Architect with the Council of Architecture under the Architects Act, 1972 (20 of 1972); and

(iii) experience of five years in the conservation of monuments or historic buildings etc.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2. The period of deputation (Including short term contract) including the period of deputation (Including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Secretary, Ministry of Culture - Chairman; 2. Director General, Archaeological Survey of India - Member; 3. Additional Director General (Conservation and Scientific Preservation), Archaeological Survey of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No J-11012/3/2024-Planning]

Sarvjit Singh, Director, Administration

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.08.01 16:20:19 +05'30'